[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 08/2025-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ).-एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के खंड (xxxvi) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), को सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 772 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।